

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इतिहास(महिला/पुरुष)/डीपीसी-पदस्थापन/2015-16 दिनांक 13.09.2015 द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा व0अ0 रामावि बेरला (झूझु) का डीपीसी द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता इतिहास के पद पर पदोन्नति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीखनेरा (बीकानेर) पदस्थापित किया गया था।

श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इतिहास(महिला/पुरुष)/डीपीसी-पदस्थापन/2015-16 दिनांक 13.09.2015 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 814/2016 दायर की गई। जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.01.2016 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय पारित किया।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में पति पत्नि प्रकरण होने के कारण पदस्थापन चूरु जिले में चाहा है।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में यह निर्णय लिया कि याचिकार्थी की पत्नि का पदस्थापन शिक्षा विभाग में चूरु जिले में होने एवं न्यायालय आदेश की पालना में श्री अनिल कुमार शर्मा का पदस्थापन राउमावि भीखनेरा (बीकानेर) के स्थान पर राउमावि कांजन (kanjan) जिला चूरु में किया जाता है। संबंधित संस्था प्रधान श्री शर्मा को अविलंब कार्यमुक्त कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। नव पदस्थापित स्थान पर संबंधित कार्मिक को दिनांक 22.04.2016 तक कार्यग्रहण करना होगा।


(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक - 10/4/16

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/कोर्टकेस/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को सूचनार्थ


1.संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक **बीकानेर/चूरु**

2.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक **बीकानेर/चूरु**

3.संबंधित संस्था प्रधान राउमावि **भीखनेरा (बीकानेर)/कांजन(चूरु)**

4.संबंधित कार्मिक **श्री अनिल कुमार शर्मा**

5.गार्ड फंजिका



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: आदेश ::


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/नियुक्ति-वाणिज्य/पीएससी/2015 दिनांक 19.07.15 द्वारा श्रीमती मंजू अग्रवाल का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता वाणिज्य के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाडी(भरतपुर) पदस्थापित किया गया था ।

श्रीमती मंजू अग्रवाल द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा /संस्था /सी-2/ नियुक्ति-वाणिज्य /पीएससी/2015 दिनांक 19.07.15 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष याचिका संख्या 10829/2015 दायर की गई । जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.12.2015 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय पारित किया ।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनसे कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापित किया गया है जबकि उन्हें गृह जिले से बाहर पदस्थापन दिया गया है, इस लिए उन्होंने गृह जिले में पदस्थापित करने में बाबत निवेदन किया ।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में यह निर्णय लिया कि व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) का पद स्टेंट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नहीं है। श्रीमती मंजू अग्रवाल द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाडी(भरतपुर) में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

अतः श्रीमती मंजू अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबंधित सूचित हो ।


(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएसएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर
दिनांक - 19/11/16

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/कोर्टकेस/2015
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को सूचनार्थ


1.संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक भरतपुर

2.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भरतपुर

3.संबंधित संस्था प्रधान राजमावि पहाडी (भरतपुर)

4.संबंधित कार्मिक श्रीमती मंजू अग्रवाल

5.गार्ड फंजिका


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर